

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी  
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

01 / 2025

11.08.2025

23-12-2025

छुट्टन लाल पुत्र रामदयाल, मीना निवासी बाढ रामसर तह० तलावडा —प्रार्थी  
बनाम

1. रूपवन्ती पत्नी प्रेमचंद, मीना निवासी बाढ रामसर तह० तलावडा
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तलावडा —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राज० अधिनियम  
उपस्थित :- श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख०न० 353 रकबा 0.09 है० ग्राम बाढ  
रामसर तह० तलावडा प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की भूमि से लगती हुई  
अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख०न० 352 रकबा 0.29 है० स्थित है। प्रार्थी एवं  
अप्रार्थी की भूमि एक ही डोल मेड है जिसे लेकर आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी  
संख्या 1 में भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहा है। इसलिए  
प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि ख०न० 353 का सीमाज्ञान का दिनांक 13.6.25  
को करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 पटवारी हल्का द्वारा कराये गये सीमाज्ञान  
को मानने से इंकार कर रहा है। इसलिए यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  
करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की  
खातेदारी भूमि ख०न० 353 रकबा 0.09 है० की अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि  
ख०न० 352 रकबा 0.29 है० ग्राम बाढरामसर से लगी हुई सीमा जिसे नजरी  
नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के  
आदेश तहसीलदार तलावडा को दिये जावे तथा तहसीलदार तलावडा को  
निर्देशित किया जावे कि आवश्यकता हो तो वह पुलिस सहायता से भूमि की  
पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं० 2070 से 2073  
खाता संख्या 63, 100 ग्राम बाढ रामसर, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी  
सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.6.25 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।  
अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

मुख्य अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज०)

( 2 )

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।


बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2070 से 2073 खाता संख्या 63 ग्राम बाढ रामसर के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रार्थी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि मौके पर कोई विवाद नहीं हो तो वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल ख० न० 353 रकबा 0.09 है० ग्राम बाढ रामसर तह० तलावडा की पत्थरगढी करवावे। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23-12-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( बृजेन्द्र मीना )

उप जिला कलक्टर

गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी

गंगापुर सिटी (राज०)